भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2242

14 मार्च, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: सिंचाई परियोजनाएं

2242. श्री संतोष कुमार:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सरकार द्वारा देश में किसानों को बढ़ावा देने और ग्रामीण नवोन्मेषकों की पहचान करने और बड़ी संख्या में कृषि भूमि को सिंचाई योग्य बनाने हेतु सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

सरकार खेत में पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाने और आश्वासित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने और सतत जल संरक्षण पद्धतियों की शुरूआत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन कर रही है। पीएमकेएसवाई के घटक निम्नानुसार हैं:

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) द्वारा पीएमकेएसवाई के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) घटकों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत प्राथमिकता वाली एआईबीपी परियोजनाओं के साथ-साथ उनके कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) गतिविधियों को मिशन मोड में शुरू किया गया है।

पीएमकेएसवाई के एचकेकेपी घटक के तहत डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर द्वारा सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर) की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- हर खेत को पानी - भूजल सिंचाई (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-जीडब्ल्यू) योजना को डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वर्षा जल पर निर्भरता कम करने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को कुओं और नलकूपों के निर्माण से भूजल सिंचाई सुनिश्चित करना है। योजना केवल उन क्षेत्रों में कार्यान्वित होती है जहां भूजल विकास 60% से कम है, औसत वर्षा 750 मिमी से अधिक और उथला भूजल स्तर (जमीनी स्तर से 15 मीटर से कम) है।

समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) को वर्ष 2015-16 में पीएमकेएसवाई के घटक के रूप में सम्मिलित किया गया और इसे वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के रूप में नामित किया गया, जिसे भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ रिज क्षेत्र उपचार, जल निकासी लाइन उपचार, मृदा और नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी की स्थापना, चरागाह विकास, संपत्ति रहित व्यक्तियों के लिए आजीविका आदि शामिल हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) वर्ष 2015-16 से पीएमकेएसवाई के एक घटक के रूप में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 2022-23 के दौरान, पीडीएमसी को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। पीडीएमसी सूक्ष्म सिंचाई अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

*****